

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

सं० सं०-17/ए 1-37/98

/स्वा०, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय

के बायोकेमेस्ट्री विभाग में कार्यरत डा० मधु सिन्हा, कार्यकारी सह-प्राध्यापक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सह प्राध्यापक (वेतनमान 15,600-39,100/-ग्रेड पे० -7600/-) में नियमित प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं शुद्धि पत्र अधिसूचना संख्या-106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत सह प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री विभाग में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित तिथि से सह-प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत सह-प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति की अधि० सं० एवं प्रभार की तिथि	सह-प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० (श्रीमती) मधु सिन्हा	287(17) दिनांक- <u>11.05.2009</u> 21.05.2009	कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि 20.05.2008 से वैचारिक एवं 21.05.09 से नियमित।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(सच्चिदानन्द चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव।

सं० सं०-17/ए 1-37/98 - 166 (17) पटना, दिनांक :- 20/3/17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले०एवंह०) बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०)  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० मधु सिन्हा, कार्यकारी सह-प्राध्यापक, बायोकेमेस्ट्री विभाग, अनुग्रह  
नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव  
सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/विशेष कार्य  
पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17 को  
सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
20/3/17  
सरकार के विशेष सचिव।